प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2018

विषय: उत्तर प्रदेश राज्य में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती और मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-226/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 26 जुलाई, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा उ0प्र0 राज्य में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती और मुरादाबाद एयरपोर्ट को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट्स के रूप में विकसित किए जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए आगणनों का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित/अनुमोदित लागत रु0 7710.23 लाख (रुपए सतहत्तर करोड़ दस लाख तेईस हजार मात्र)+ जी0एस0टी0 की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध निम्नवत् किया गया है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन की लागत (रूपए लाख में)	प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत (रूपए लाख में)
1	जनपद अलीगढ़ में नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट का निर्माण कार्य	2088.22	1883.65+जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर देय
2	जनपद आजमगढ़ में नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट का निर्माण कार्य	2144.75	1821.49+जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर देय
3	जनपद श्रावस्ती में नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट का निर्माण कार्य	2316.57	2097.47+जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर देय
4	जनपद मुरादाबाद में नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट का निर्माण कार्य	2125.67	1907.62+जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर देय
	कुल योग	**8675.21**	**7710.23 लाख+जी0एस0टी0**

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस सम्बन्ध में यह कहने का निदेश हुआ है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती और मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित कुल लागत धनराशि रू0 7710.23 लाख (रुपया सतहत्तर करोड़ दस लाख तेईस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त चार परियोजनाओं के विकास हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 3084.092 लाख (रूपए तीस करोड़ चौरासी लाख नौ हजार दो सौ मात्र) के व्यय की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित तालिका के अनुसार प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	परियोजना की स्वीकृत लागत (रूपए लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि 40% (रूपए लाख में)
1	जनपद अलीगढ़ में नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट का निर्माण कार्य	1883.65+जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर देय	753.460
2	जनपद आजमगढ़ में नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट का निर्माण कार्य	1821.49+जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर देय	728.596
3	जनपद श्रावस्ती में नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट का निर्माण कार्य	2097.47+जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर देय	838.988
4	जनपद मुरादाबाद में नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट का निर्माण कार्य	1907.62+जी0एस0टी0 वास्तविकता के आधार पर देय	763.048
	योग	**7710.23+जी0एस0टी0**	**3084.092**

3- उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) प्रायोजनान्तर्गत सी0सी0 टी0वी0, पी0ए0 सिस्टम, पैनल, केबल, डी0जी0सेट, यू0पी0एस0 सिस्टम, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, एयरकंडीशनिंग सिस्टम, साइन बोर्ड, सबस्टेशन, इलैक्ट्रॉनिक वेइनिंग मशीन, वॉटर कूलर, आर0ओ0 सिस्टम, ट्रान्सफॉर्मर, फर्नीचर एवं पफ पैनल्स का प्राविधान किया गया है। इन्हें इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करके क्रय आदि की कार्यवाही करेगें। निदेशक, नागरिक उड्डयन/कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) जनपद आजमगढ़ एयरपोर्ट के विकास हेतु अंकित प्रायोजना प्रस्ताव में 23380.11 घनमीटर मिट्टी भराई हेतु रु0 125.95 लाख की लागत का प्रावधान किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति से संस्तुति न होने के कारण प्रभाग द्वारा इस मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त रु0 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा रही है ताकि निर्माण कार्य में कोई कठिनाई न हो। अवशेष धनराशि जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति के पश्चात ही स्वीकृत की जाएगी देय होगी। मिट्टी भराई के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 10 जून, 2010 (प्रतिलिपि संलग्न) के प्रस्तर-9 पर दिए गए निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(4) जनपद अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती और मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास हेतु अंकित प्रायोजना प्रस्ताव में जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक व्यय के आधार पर देय है, जिसका ऑकलन आगणन में सम्मिलित कार्यों के सम्पादन/ प्रोपराइटरी आइटमों के क्रय आदि के उपरान्त ही सम्भव है। इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा यथासमय निदेशक, नागरिक उड्डयन को पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाएगा और निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा परीक्षणोपरान्त शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा।

(5) शासन द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नए कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(7) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण कराने का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(8) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता निर्धारण का उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**vii**) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) निदेशक**,** नागरिक उड्डयन द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराए जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जाएगी।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों**,** समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(11) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के सम्बन्ध में निदेशक**,** नागरिक उड्डयन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दी जा रही है। यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक**,** नागरिक उड्डयन का होगा।

(12) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

(13) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।

(14) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(15) स्वीकृत धनराशि आहरित कर संबंधित पक्षों को नियमानुसार व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(16) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय की गई धनराशि का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-763/दस-2018, दिनांक 14 अगस्त, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

5/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-84/2018/1493(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(3) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003

(4) मण्डलायुक्त, अलीगढ़/आजमगढ़/देवीपाटन/मुरादाबाद।

(5) जिलाधिकारी, अलीगढ़/आजमगढ़/श्रावस्ती/मुरादाबाद।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ़/आजमगढ़/श्रावस्ती/मुरादाबाद।

(8) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, विशेश्वररैया भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

(9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4

(10) निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

(11) समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।